रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1991 (माघ 27, 1912)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1991 (MAGHA 27, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग

बम्बई-400018, दिनांक 28 जनवरी 1991

सं० यू० बी०डी०बी०आर०108/ए-18—90/91—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (यक) के साथ पठित धारा 36ए की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि उक्त अधिनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिक सहकारी बैंक (वेतनभोगी समिति) सहकारी बैंक नहीं रहा।

समिति का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
दि मालाबार को-आपरेटिव इम्प्लॉइज को-आपरेटिव सोसायटी लि०, कोझिकोडे, जि० कोझिकोडे	केरल

जी० के० उदेशी,
मुख्य अधिकारी

लोक ऋण कार्यालय

बम्बई—400001, दिनांक 16 फरवरी 1991

सं० एस० एन०/विशेष—2/औद्योगिक वित्त निगम बांड—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का XVI) के खण्ड 43 के अंतर्गत बनायी गयी औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली, 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को समाप्त होने वाली छः माही के लिए गुम, नष्ट हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिनके सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए आधार

हैं कि वे बांड खो गए हैं और आवेदक का दावा न्यायसंगत है । जिन दावेदारों के नाम नीचे दिए गए हैं उससे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना है, तो वे प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, बम्बई 400001 से तत्काल सम्पर्क करें । यह सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग "क" उन प्रतिभूतियों की सूची जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग "ख" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है ।

बाण्ड संख्या	मूल्य रुपए	निम्नलिखित के नाम पर जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौति मूल्य के भुगतान के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किए गए आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया था

————सूची "क"————

कोई नहीं

————सूची "ख"————

5 1/2 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बाण्ड 1978

बीबाई 000635 बीबाई 000636	10,000/- 10,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	27-9-1976	दि ओरियन्टल इंशुरेन्स कंपनी लिमिटेड ।	मामला सं० एल० 1664 संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 19-3-1986 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 383 दिनांक 20-3-1986	09-08-1096

6 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बाण्ड 1986

बीबाई 001808	5,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	10-6-1984	मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पूना	मामला सं० एल०-1880 संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 25-7-86 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 44 दिनांक 26-7-1986	14-3-87

ब० गु० कोकाणी
लेखा अधिकारी

पी० आर० अनंतरामन
प्रबंधक

लोक ऋण कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1991

सं० 1162/जी० एल० 2/91 (आई० एफ० सी०)—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो प्रतिभूतियां खो आवि गयी हैं और जिनके सम्बंध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः आधार हैं कि वे खो गई हैं और उनके आवेदकों का दावा न्यायपूर्ण है, उनकी निम्नलिखित 31 दिसम्बर, 1990 को समाप्त हुई छमाही की सूची का विज्ञापन इंडस्ट्रियल फाईनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया (इशू एंड मैनेजमेंट आफ बाण्डस) रेगुलेशन 1949 के विनियम 10 के अनुसार इसके द्वारा किया जाता है । नीचे जिन दावेदारों के नाम दिए गए हैं उनको छोड़कर अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो, को चाहिए कि ये प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, नई दिल्ली को तुरंत सूचित करें :—

यह सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग "क" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन अभी पहली बार किया जा रहा है और भाग "ख" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है ।

सूची "क"

प्रतिभूति की सं०	मूल्य रु०	किसके नाम जारी की गई	किस दिनांक से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने या भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावा करने वाले (वालों) (का) के नाम	जारी किए गए आदेश की संख्या और दिनांक

————कुछ नहीं————

सूची "ख"

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	किसके नाम जारी की गई	किस दिनांक से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने या भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावा करने वाले (वालों) (का) के नाम	जारी किए गए आदेशों की सं०और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब उस प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया
6.25 प्रतिशत इंडस्ट्रियल फाईनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया बान्डस 1988 (सैकेंड सीरीज)						
डी० एच० 000241	10,000/-	विनोद कुमार एंड कंपनी	14-6-80	ट्रस्टीज सुमीटोमो इंडियन स्टाफ प्रोवीडेंट फंडड	आई० एफ० सी०/ एल० एन० 2 दिनांक 3-2-87	8-8-1987

पी० बी० माथुर,
संयुक्त प्रबंधक

सिण्डीकेट बैंक

औद्योगिक सम्बन्ध प्रभाग

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

मणिपाल, दिनांक 25 जनवरी 1991

शुद्धि पत्र

सं० 75/एस0090/का०वि०औ०सं०प्र० (अ)—सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 के विनियम 6(4) में हुए संशोधन को जो भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं० 50 दिनांक 15-12-1989 के पैरा 3(क) में प्रकाशित हुआ था, निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

क. विनियम 6 के उप विनियम (4) में आने वाले अंतिम शब्द ("नहीं कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "नहीं करेगा" शब्द रखे जाएंगे और

के० सी० पै,
महाप्रबन्धक (का०से०)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 1991

सं० ए० 12(1)7/88-स्था०-I(क)—समय-समय पर यथा-संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) तथा उप-धारा (2-क) के साथ पठित धारा 97 की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उपनिदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(क) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती विनियम, 1991 कहे जाएंगे।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 3, 4 तथा 6 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि

उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 8 से 10 तथा 12 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यताएं—ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नि के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक की यह तसल्ली हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति

जहां निगम के महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद तथा इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए भर्ती विनियम

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 30 के अधीन स्वीकार्य जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ पद पर लागू है	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उप-निदेशक (राजभाषा)	1** (1991)	ग्रुप 'क'	लागू नहीं	3000-100-3500-125-4500 रुपये	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन में से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
11	12	13	14	15
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : 2000-3500 रुपये के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित हिन्दी अधिकारी	ग्रुप-'क' विभागीय पदोन्नति समिति : (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. महा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम—सदस्य। 3. निदेशक (प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम—सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।

** कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकेगा।

दिनांक 24 जनवरी, 1991

सं० 1(1)-1/65-स्था० 1(ख)संग्रह-3—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 की धारा 97 की उपधारा 2 तथा उपधारा 2 (क) के खण्ड (21) तथा धारा 17 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सवार हरकारा/तिपहिया स्कूटर चालक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(क) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सवार हरकारा/तिपहिया स्कूटर) भर्ती विनियम, 1991 कहे जाएंगे।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतनमान, विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2, 3, तथा 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती की पद्धति आयु सीमा योग्ताएं आदि

उक्त पद की भर्ती की पद्धति आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यताएं : ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित होते हुए विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नि के जीवित हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, होते उक्त पद के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक को यह तसल्ली हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकता है ।

5. ढील देने की शक्ति

जहां महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकते है ।

6. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

अनुसूची

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सवार हरकारा तिपहिया स्कूटर चालक के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सवारी हरकारा/ तिपहिया स्कूटर चालक	1* 1991	ग्रुप "ग" गैर-लिपिक वर्गीय	950-20-1150-ब० रो०-25-1500 रु०	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष (क० रा० बी० नि० के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक ढील दी जा सकती है)	अनिवार्य 1. तिपहिया स्कूटर चलाने में व्यावसायिक कुशलता तथा स्कूटर मशीनरी की जानकारी 2. तिपहिया स्कूटर का वैध ड्राईविंग लाईसेंस तथा तिपहिया चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय (क) 8वीं कक्षा पास हो (ख) कार चलाने का लाइसेंस रखता हो ।

* कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नत द्वारा/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा।	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में इसका गठन	परिस्थितियों जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही	ग्रुप-'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) चयन समिति में : निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. मुख्यालय के लिए : प्रशासन अधिकारी-2, अध्यक्ष उप मुख्य लेखा अधिकारी, सदस्य संगठन के बाहर का एक अधिकारी सदस्य। क्षेत्रों/नि० (वि०) (दिल्ली) 1. क्षे० मनि०/नि० (वि०) दिल्ली— अध्यक्ष। 2. उप मुख्य लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी—सदस्य। 3. संगठन से बाहर का एक अधिकारी—सदस्य।	लागू नही

टिप्पणी :—अन्यथा अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता तथा अनुभव।

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1991

सं– एन–15/13/11/2/89–यो० एवं वि०–(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–2–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे।

अर्थात् :

केन्द्र का नाम	ह्द बस्त नं०	तहसील	जिला
गांव कोटला वधेरी	201	खन्ना	लुधियाना

अ० च० जुनेजा, निदेशक (योजना एवं विकास)

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जनवरी 1991

सं० 25–10–190–एल०आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्ताओं का नाम	राशि (रुपए)
1.	जैड सी०ई० 186065पी	26–8–71	श्री शायक अहमद	5,000/-
2.	510224सी इ०ए० 60	4–4–84	श्री बी० एस० मरकटम्मा	10,000/-
3.	413253–सी० इ०ए० 55	6– 5–82	श्री दत्तारैय्या कुलकर्णी	5,000/-

सं० 25-13/90-एल०आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमा कर्ताओं का नाम	राशि (रुपये)
1.	410143—पी	31-5-80	श्री जी० के० चव्हान	5,000/-
2.	113215—पी	17-1-66	श्री एस० टी० सावंत	5,000/-
3.	326165—पी	1-2-78	श्री पी० ए० सावंत	5,000/-
4.	422786—पी	18-9-80	श्रीमती एस० वी० मुंज	15,000/-

पी० गोपीनाथ
निदेशक (पीएलआई)

श्रम मन्त्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जनवरी 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/146—जहां मैसर्स गुजरात ट्रैक्टर कारपोरेशन लि., विश्वामित्री, बडोदरा-390001 (जी. जे./1860) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या : एस-35014/209/86-एस.एस. II तिथि 28-11-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 18-9-88 से 28-2-90 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 28-2-90 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/139—जहां मैसर्स दा वैसमैन इन्जिनियरिंग कम्पनी प्रा. लिमिटिड [डब्ल्यू बी. 1662) 1/2 एलनबाई रोड, कलकत्ता)] और इसकी शाखाएं ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या एस-35014 [(63(84) एफ. पी. जी.] एस. एस. II दिनांक 17-9-87 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जो दिनांक 21-7-90 से 20-7-93 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 20-7-93 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1)/132 जहां मैसर्स मार्गदर्शी मार्कीटिंग प्रा. लि., पोस्ट बाक्स नं. 90, इन्डे कम्पाउन्ड, खैरताबाद, हैदराबाद-500482 (ए. पी. 6690) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या एस. 35014(51)85-एस. एस. II दिनांक 25-3-1985 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जो दिनांक 25-3-88 से 24-3-91 तक लागू होगी जिसमें यह तिथि 24-3-91 भी शामिल है।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे ... निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 30 जनवरी 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/159—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार /केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-।। में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम की सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फा० सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स कैडिला डिस्ट्रीब्यूटर्स नारोल-नारौदा हाईवे, 371–372, इसानपुर, अहमदाबाद-382443	जी०जे०/4820	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट-I/4484, दिनांक 29-8-90	28-2-90	1-3-91 से 28-2-93	2/709/82/डी० एल० आई०
2.	मैसर्स गुजरात स्टेट को०-आपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन लि०, साहाकर भवन, रिलिफ रोड, अहमदाबाद-380001	जी०जे०/4833	एस-35014(6)86-एस० एस०-II, दिनांक 14-2,86	13-2-89	14-2-89 से 13-2-92	2/1330/85-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स गारविन पम्पस प्रा० लि०, सी-1/273, जी० आई० डी०सी०, टाऊन शिप, नारौदा-382330 अहमदाबाद ।	जी०जे०/11286	2/1959/डी० एल०आई०/एक्जाम/89/पार्ट-I/3914 दिनांक 1-8-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/2773/90/डी० एल० आई०
4.	मैसर्स इन्सटाविजन सिस्टमस (आई) प्रा० लि०, प्लाट नं० 35, इसानपुर, अहमदाबाद-382443	जी० जे०/14616	एस०/35014/II/86-एस० एस०-II, दिनांक 7-2-86	6-2-89	7-2-89 से 6-2-92	2/1328/85-डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/165—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है।	के० भ० नि०आ० फा० नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मसर्स कैडिला वैटरनरी मैन्यु फैक्चर्स, आफ वेटरनरी, प्रोडेक्ट्स मैनीनगर, अहमदाबाद-380008	जी० जे०/10871	एस-35014/236/85/ पी०एफ०-II/एस० एस०-II, दिनांक 9-4-87	16-12-89	17-12-89 से 16-12-92	2/943/83/डी० एल० आई०
2.	मैसर्स मिलेक्स केबल इंडस्ट्रीज, राजैल स्टेशन-382315; ताला-वीरगाम, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद ।	जी० जे०/14793	2/1959/डी० एल०आई०/ एक्जाम/89/पार्ट-I, दिनांक 1-8-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/27/65/90/ डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 दिसम्बर, 1990

सं० वी०पी०एस०/पी०यू०/90/3312—पंजाब यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1947 की धारा 10 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के कुलाधिपति को, प्रो० आर० पी० बाम्बा की पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में 1 जनवरी, 1991 से वर्तमान शर्तों पर तीन साल के लिए अवधि बढ़ाते हुए प्रसन्नता अनुभव हो रही है।

श्री निवासराव एस० सोहोनी,
सचिव उपराष्ट्रपति
कुलाधिपति, पंजाब यूनिवर्सिटी

अनुलग्नक (य)

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद सिकन्दराबाद

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 1991

क० नि०आ० 241—जबकि भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 337 दिनांक 26 सितम्बर

1964 के प्रतिस्थापन में, सिकन्दराबाद छावनी के सीमा के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशों पर लागाए जाने वाले करों के संशोधन को, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61 की अपेक्षानुसार प्रभावित होने वाले, सभी व्यक्तियों से तीस दिन के भीतर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने की मांग करते हुए, छावनी परिषद सूचना संख्या 3121 दिनांक 15 जून, 1990 में तथा स्थानीय दैनिक पत्र डेकन क्रोनिकल में, इनाडु (तेलुगु) तथा, सियासत (उर्दू) में प्रकाशित किया गया।

जबकि उपर्युक्त सूचना के प्रारूप को आम जनता के लिए 15 जून, 1990 को उपलब्ध कराया गया था।

और जबकि किसी भी व्यक्ति से निर्धारित तिथि तक कोई सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

अब इसलिए, छावनी अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानुसार तथा भारत सरकार के राजपत्र भाग-2 धारा धारा 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० आर०ओ० 337 दिनांक 26 सितम्बर, 1964 के प्रतिस्थापन में, केवल की गई तथा छोड़े जाने वाली चीजों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर, छावनी परिषद, सिकन्दराबाद, अपनी छावनी की सीमा के अन्तर्गत तालिका के कालम 2 में दर्शाए गए सभी व्यापार, व्यवसाय या पेशा करने वाले व्यक्तियों पर कालम 3 में दी गई दर के अनुसार कर निर्धारित करता है।

ए० एम० रामगोपाल, छावनी अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सिकन्दराबाद

1.	एडवरटाईजिंग एजेंट	60
2.	एजेंट ऑफ इन्श्यूरेंस कम्पनी	250
3.	एजेंट फार सेल ऑफ न्यूज-पेपर्स एण्ड पिरियाडिकल्स	60
4.	ऑक्शनर	500
5.	ऑटोमोबाइल इंजीनियर	400
6.	अनुज्ञप्त वित्तीय बैंकर	500
6ए.	वित्तीय बैंक जो अनुज्ञप्त न हो	300
7.	बार्बर	30
8.	लुहार और कलईगर	30
9.	ब्लाक बनाने वाला या फोटोजिंको मालिक	60
10.	इकरारनामा लेखक तथा टिकट बेचने वाला	150
11.	जिल्दसाज	60
12.	किताब बनाने वाला (बुक एकाउन्टेंट)	500
13.	पुस्तक विक्रेता	200
14.	कसाई (बकरा, गाय या सुवर का मांस)	120
15.	बढ़ई	30
16.	औषध विक्रेता	300
17.	सफाई करने वाले या ढुंढकारी	100
18.	कपड़ा विक्रेता, ड्रेपर या मिलिनर जो आयकर का भुगतान करते हों	500
18ए.	कपड़ा विक्रेता, ड्रेपर या मिलनर जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं	300
19.	कोच, मोटर या वहानों का लाकर बनाने वालों पर	400
20.	मोची या जूते बनाने वाला	30
21.	छूट अभिकर्ता या दलाल या भवन अभिकर्ता	500
22.	निर्माण कार्य का ठेकेदार	600
23.	केन्द्रीय तथा मैस का ठेकेदार	500
24.	साईकिल स्टैण्ड का ठेकेदार	120
25.	बिजली का तार लगाने वाले ठेकेदार	200
26.	एम०ई०एस०पी०डब्ल्यू०डी० तथा सी० पी०डब्ल्यू०डी० के ठेकेदार	500
27.	विभागीय ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार	300
28.	इस तालिका में नहीं दिए गए अन्य ठेकेदार	300
29.	अनाज व्यापारी	300
30.	दूध बेचने वाला	200
31.	एल्युमीनियम, पीतल या तांबे के बर्तन	300
32.	हथियार तथा बारूद व्यापारी	250
33.	कला, शिल्प तथा कताई के व्यापारी	150
34.	अदह (एस्बेस्टस) छतों के विक्रेता	250
35.	बांसी या बेंत से बनी वस्तुओं के विक्रेता	30
36.	चूड़ी, कपड़े के व्यापारी	30
37.	मोटर, कार, आदि के बैटरी के विक्रेता	100
38.	बियर, शराब, तेजाब या अंगूरी (देशी या विदेशी)	500
39.	बीड़ी, सिगार, सिगरेट, दियासलाई	60
40.	बूट, जूते तथा चप्पल के विक्रेता	300
41.	बटन, धागा या बाबर डेसरी के विक्रेता	120
42.	कालीन, शॉल या फर्श के विक्रेता	400
43.	स्थानीय बूट, जूतों तथा चप्पलों के विक्रेता	150
44.	कोयला तथा लकड़ियों के व्यापारी	200
45.	चटनी, मसाले तथा अचार के व्यापारी	60
46.	बड़ी तथा छोटी घड़ियों के व्यापारी जो आयकर देते हैं	400
47.	नारियल विक्रेता व व्यापारी	60
48.	कॉफी तथा चाय व्यापारी	160
49.	चटाई तथा रेल कोयले के व्यापारी	300
50.	कोक तथा रेल कोयले के व्यापारी	400
51.	रूई व्यापारी	30
52.	नालीदार लोहे के चद्दरों के व्यापारी	250

53. चीनी मिट्टी के बर्तन, छुरी कांटे तथा कांच के बर्तनों के व्यापारी	300
54. साईकिल, रिक्शा या बच्चा गाड़ी के व्यापारी	300
55. मिट्टी के बर्तनों के व्यापारी	30
56. बिजली के समान तथा बैटरी व्यापारी	250
57. खिलौने तथा रंगबिरंगे कपड़ों के व्यापारी	250
58. मूर्ति तथा चित्रों के व्यापारी	60
59. ईंधन की लकड़ी के व्यापारी	60
60. आतिशबाजी के व्यापारी	100
61. फाउन्टेनपैन के व्यापारी	100
62. बिक्री या किराए में सज्जा सामग्री के व्यापारी	500
63. शीशे का व्यापारी	100
64. अनाज व्यापारी	120
65. ग्रामोफोन तथा उसके पुर्जों के व्यापारी	250
66. सूखी घास/चारा तथा हरे चारे के व्यापयरी	60
67. किराने के व्यापारी (चाय, बियासलाई, सूखा नारियल, चीनी, कॉफी, दूसरे प्रकार की चीजें, साबुन, घी, मीठा तेल, मोमबत्ती, तथा अगरबत्ती के व्यापारी	250
68. केश तेल, इत्र, या प्रसाधन की आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता	100
69 कठोर पदार्थों के व्यापारी	500
70. साज, सज्जा (काठी) तथा अन्य चमड़े की वस्तुओं के व्यापारी	250
71. तैयार कपड़ों हौजरी के व्यापारी	400
72. अनुकृतिक सामानों के विक्रेता	120
73. मिट्टी का तेल, तथा अनुपयोगी तेजाबों के व्यापारी	60
74. पतंग, मिंगरी, तथा मनजस के व्यापारी	30
75. बुनाई के ऊन तथा धागों के व्यापारी	100
76. बटुओं तथा कलाई घड़ी के व्यापारी	60
77. ताले, चाबी के व्यापारी	60
78. मोटर कार, मोटर गाड़ी, मोटर-साईकिल तथा इनके पुर्जों के व्यापारी	500
79. संगीत उपस्करों के व्यापारी	400
80. तेल बेचने वाले तथा भंडार करने वाले व्यापारी	300
81. रंग तथा डिस्टेम्पर के व्यापारी	200
82. फिनाईल के व्यापारी	60
83. चित्र तथा साबुन के व्यापारी	30
84. प्लाईवुड के व्यापारी	200
85. रेडियो तथा इसके पुर्जों के व्यापारी	500
86. रस्सी के व्यापारी	30
87. बरसाती कोट, गम बूट तथा छाताओं के व्यापारी	150
88. रबर के सामान के व्यापारी	60
89. चंदन की लकड़ी के व्यापारी	60
90. स्वच्छता संबंधी साज सामान	250
91. पुराने वस्तुओं के व्यापारी	100
92. बीज तथा पौधे के व्यापारी	500
93. सिलाई मशीन के व्यापारी	500
94. खेल एवं अतिरिक्त सामानों के व्यापारी	400
95. खाद्य तेलों के व्यापारी	60
96. शरबत के व्यापारी	60
97. टार्च के व्यापारी	500
98. टंकण मशीन के व्यापारी	500
99. वनस्पति घी तथा डालडा के व्यापारी	250
100. दांतों के व्यापारी	250
101. दवाई तैयार करने वाले औषधकार	100
102. नक्शा नवीस (ड्राफ्टसमैन)	150
103. रंगकार	60
104. इलेक्ट्रोप्लैट (विद्युत लेपक)	50
105. अभियन्ता तथा वास्तुकार	400
106. नाविक या मिस्त्री (फेरियर या फिटर)	60
107. ज्योतिषी	60
108. केम बनाने वाले	60
109. सामान्य व्यापारी जो आयकर देते हैं	300
110. सुनार तथा राजक	250
111. नौकरशाही जो सुनार या राजक कार्य भी करता हो	30
112. हकीम	60
113. फैकार या फैरीवाला (हाकर या पेडलर)	60
114. फल या सब्जी के फैकार या सब्जी वाला	30
115. हाथगाड़ी और दुकानों के फैकार या रद्दीवाला	2 00
116. 12 या उससे कम साईकिलों को किराए में देने वाला	60
117. 13 या उससे अधिक साईकिल किराए पर देने वाला	150
118. सिलाई मशीनों को किराए में देना	100
119. आयकर विशेषज्ञ (चार्टर्ड लेखाकार या अन्य)	250
120. बाजीगर या मायावी	30
121. लाभ हेतु दूधेरू पशुओं को रखने वाला	100
122. मधुशाला के मालिक	500
123. बिलियर्ड सैलून के मालिक	300
124. केफ, रेस्तरां या भोजनालय के मालिक	500
125. फूलों के दुकान के मालिक	60
126. बाल संवारने के सैलून का मालिक	400
127. दुग्ध भंडार के मालिक	100
128. पेट्रोल पम्प का मालिक	500
129. दाढ़ी बनाने या बाल काटने की दुकान का मालिक	100
130. विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विक्रेता की दुकान	150
131. फुलिया के खेती के मालिक	500
132. चाय तथा काफी की दुकान	100
133. धुलाई घर का मालिक	300
134. वैज्ञानिक व्यवसायी	400

135. लाईसेंसदार जाकी (घुडदौड़क)	300
136. जूते बनाने वाले	30
137. भुजिया, चना, चिवडा, गाड़ी बनाने तथा बेचने वाला	60
138. ब्रेड बिस्किट तथा केक बनाने तथा बैचने वाले	300
139. केवल ब्रेड बनाने तथा बेचने वाले	120
140. सन्दूक पर बाक्स बनाने तथा बैचने वाले	150
141. टोपी तथा टोपे के निर्माता या विक्रेता	100
142. घी उत्पादक तथा विक्रेता	150
143. चित्र तथा चित्र के फ्रेम निर्माता तथा विक्रेता	60
144. साबुन निर्माता तथा विक्रेता	60
145. मिठाई निर्माता तथा विक्रेता	200
146. बर्फ तथा शीतल-जल के निर्माता तथा विक्रेता	300
147. बीड़ी निर्माता तथा बिक्रेता	500
148. फलों के रस तथा शर्बत अरकों के निर्माता तथा विक्रेता	250
149. तेल-निर्माता तथा विक्रेता	120
150. धातु कार्यों के निर्माता तथा विक्रेता	30
151. राजगीर	30
152. अंगमर्दक	60
153. चिकित्सक जो कर देते हैं	200
154. कर न देने वाले चिकित्सक	30
155. मुद्राक चिकित्सक	300
156. मोटर या टैक्सी मालिक	400
157. चश्मों के व्यापारी	60
158. सड़क पर किराये में चलाने वाले तांगा, विक्टोरिया तथा इक्के के मालिक	60
159. दौड़ के घोडों का मालिक	500
160. चित्रकार	30
161. पेटवेकरी	30
162. हड्डी सड़ा-गला मांस या खून आदि उबालने वाले	60
163. चर्बी जमा करने वाले या पिघलाने वाले	60
164. याचिका या पत्र लेखक	30
165. फोटोग्राफर और फोटोग्राफी के सामानों का व्यापारी	300
165ए. केवल फोटोग्राफी के सामानों का व्यापारी	150
166. पिमजारी	130
167. नलसाज (प्लंबर)	500
168. मुद्रक और लेखन सामग्री विक्रेता	500
169. बस सेवा के मालिक तथा निदेशक	500
170. सर्कस या कामोद प्रमोद के मालिक जो वर्ष के दौरान 15 दिन से अधिक आमोद प्रमोद का आयोजन करते हो (केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के अलावा)	500
171. सर्कस, सिनेमा, थर या आमोद प्रमोद के पात्रों में 15 दिन से कम के लिए आयोजन किया गया हो	200
172. तमाशे के मालिक या निदेशक जो वर्ष में 15 दिन के कम समय के लिए तमाशे का आयोजन करें (केवल धर्मार्थ कार्यों के लिए छोड़कर)	50
172. ए० तमाशे के मालिक या निदेशक जो वर्ष में 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए तमाशे का आयोजन करें (धर्मार्थ कार्यों के लिए छोड़कर)	100
173. बिजली के सामानों के मालिक या मैनेजर	500
174. ऐथलेटिक क्लब के मालिक	500
175. बजार क्षेत्रों में 10 या उससे कम व्यक्तियों के लिए छात्रावास के मालिक	100
176. बजार क्षेत्र में 11 उससे अधिक व्यक्तियों के लिए छात्रावास के मालिक	150
177. पीतल या धातु के फैक्ट्री के मालिक	500
178. कढ़ाई की दुकान का मलिक	60
179. लोटे के मिल का मालिक	200
180. अवासीय होटल के मालिक	500
181. मोटर यातायात कंपनी के मालिक	500
182. स्टेटिंग रिंग तथा मूल्य गृह के मालिक	500
183. दर्जी कंपनी के मालिक वस्त्र-व्यापारी, नारी साज सामान तथा सज्जीकरण)	500
184. दर्जी के दुकान के मालिक	100
185. धुलाई तथा रंगाई कंपनी के मालिक	120
186. हथियारों की मरम्मत	20
187. घड़िया तथा कलाई घडियों के मरम्मत करने वाले	60
188. साईकिल, सिलाई, मशीन बठा ग्रामोफोन के मरम्मत करने वाले	60
189. फाऊन्टेन पैन, टाईपराईटर (गाडी की मरम्मत करने वाले)	60
190. लोहे तथा छाताओं की मरम्मत करने वाले	30
191. मोटर कार के मरम्मत करने वाले	500
192. मोटर साईकिल की मरम्मत करने वाले	250
193. गायन उपस्करों के मरम्मत करने वाले	60
194. रबर स्टैम्प निर्माता	60
195. मूर्तिकार	500
196. चाकू तथा कैंचियों को पैजा/तिज करने वाले	30
197. सराफ सोना, चांदी तथा आभूषणों के के व्यापारी)	500
198. लेखन सामग्री रखने वाला	200
199. गलियों के फोटोग्राफर	100
200. सिमेंन्ट, ईंट तथा पत्थर के सप्लायर	500
201. चूना तथा बजरी के सप्लायर	30
202. दर्जी	30
203. टेनर	400
204. बिगुल वाला (टाई इस)	600
205. टैक्सी वाला	30

206. बीमा कंपनी (मुख्यालय या शाखा)	500	222. निरा विक्रेता	300
207. द्रुतगामी घोड़ों के प्रशिक्षक	500	223. पशु शैल्य चिकित्सक	120
208. अंतेष्टि प्रबंधक	60	224. वल्कनीकरक (वैल्कनाईजर)	60
209. बातित या अन्य जल या बर्फ या आईस्क्रीम के सुवाह्य विक्रेता	60	225. धोबी	30
		226. वायमैन (तार लगाने वाला व्यक्ति)	30
210. पान पत्तों के विक्रेता	60	227. बैटरी चार्ज करने वाला	60
211. ब्रेड, बिस्कुट तथा केक के विक्रेता	60	228. भड़ भूजा (अनाज भरने वाला)	30
212. मक्खन के विक्रेता	60	229. अगरबत्ती, अबीर या लोबन के व्यापारी	30
213. सूखी माली के विक्रेता	60	230. अन्य किसी वस्तु जिसे जिसे सूचिका में नहीं दर्शाया गया हो ।	60
214. विदेशी दवाईयों तथा भारतीय दवाईयों के विक्रेता	60	231. कपूर के व्यापारी	60
		232. मोमबत्ती के व्यापारी	60
215. अंडे, मांसी, शिकार या मुर्गी विक्रेता	60	233. नारियल तेल के व्यापारी	30
216. फल एवं सब्जी विक्रेता	0	234. छत्रियों के व्यापारी	30
217. घी विक्रेता	60	235. वारनिस तथा उबले तेल के व्यापारी	60
218. बर्फ विक्रेता	100	236. पानी के नलों के व्यापारी	60.
2 9. दुग्ध विक्रेता	60	237. ब्यूटी-शाप के मालिक	500
220. मिष्ठान की चीनी या मिठाई के विक्रेता	60	238. तरण-ताल के मालिक	300
221 ताडी विक्रेता	500		

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

URBAN BANKS DEPARTMENT

Bombay-400 018, the 28th January 1991

No. UBD. B.R. 108/A. 18-90/91—In pursuance of sub-section (2) of section 36A read sith Clause (Za) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the undernoted primary co-operative bank (salary earners society) has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the Society	State
The Malabar Co-operative Employees' Co-operative Society Ltd., Kozhikode, Dist. Kozhikode	Kerala

G. K. UDESHI,
Chief Officer

PUBLIC DEBT OFFICE

Bombay-400001, Dated, The 16th February, 1991

No. LN/SPL -2/I.F.C. Bonds—In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations, 1949 framed under Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948) the following list for the half-year ended 31st December 1990 of I.F.C.I. Bonds lost, destroyed etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicant is just, is hereby published. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these Bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India, Bombay 400 001.

2. The list is divided into two parts, Part 'A' being the list of securities advertised for the first time and Part 'B' the list of securities previously advertised.

Bond No.	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for payment of discharge value	No. and date of orders issued	Date of publication of the list in which the security was first published
1	2	3	4	5	6	7

LIST 'A'

——NIL——

LIST 'B'

5.1/2% I.F.C. Bonds 1978

BY 000635 BY 000636	10,000/- 10,000/-	Reserve Bank of India	27-9-1976	The Oriental Insurance Company Limited	Case No. L-1684 Jt. Manager's Order dated 19th March, 1986 and C.O. Diary N . 383 dated 20th March 1986	09-08-1986

1	2	3	4	5	6	7
			6% I.F.C. Bonds, 1986			
BY 001808	5,000/-	Reserve Bank of India	10-6-1984	The Muslim Co-operative Bank Ltd., Poona	Case No. L-1880 Jt. Manager's Order dated 25th July 1986 and C.O. Diary No. 44 dated 26th July 1986	14-03-1987

Sd/-Illegible
ACCOUNTS OFFICER

P.R. ANANTHARAMAN
MANAGER

PUBLIC DEBT OFFICE

New Delhi, the 16th February, 1991

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA BONDS

No. 1162/Gen. 2/91(IFC)—In pursuance of Regulation 10 of the Industrial Finance Corporation (Issue & Management of Bonds) Regulations 1949, the following list for the half-year ended 31st December 1990, is hereby advertised of the Industrial Finance Corporation of India Bonds lost etc. in respect of which prima-facie grounds exist for believing that the securities have been lost and that the claim of the applicants is just. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India, Public Debt Office, New Delhi.

2. The list is divided into two parts, Part 'A' the list of securities advertised for the first time and Part 'B' the list of securities previously advertised.

PART 'A'

No. of the Security	Value in Rs.	In whose name issued	from what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate(s)/payment of discharge value	No. & date of order issued
			—NIL—		

PART —'B'

No. of the Security	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate(s)/ payment of discharge value	No. & date of order passed	Date of publication of the list in which the security was first published
6.25% Industrial Finance Corporation of India Bonds 1988 (2nd Series)						
DH-000241	10,000/-	Vinod Kumar and Co.	14-06-1980	Trustees, Sumitomo Indian Staff Provident Fund	IFC/LN-2 dt. 3-2-87	08-08-1987

P.B. MATHUR,
Joint Manager

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th January 1991

No. A-12(11)-7/88-Estt.I.(A).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-97 read with clause (xxi) of Sub-Section (2) and Sub-Section (2A) of that section and Sub-Section (2) of section-17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) as amended from time to time, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Official Language) in the Employees' State Insurance Corporation, namely :—

1. *Short title and commencement* :

(i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Deputy Director (Official Language) Recruitment Regulations, 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Number, Classification and its scale of pay*

The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns-2 to 4 of the schedule annexed to this regulation.

3. *Method of Recruitment, Age limit, Qualification etc.*

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns-5 to 14 of the said schedule.

4. *Disqualification* : No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said post

Provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is premissible under the personal lay applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. *Power to relax*

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, he/she may, by order, for reasons to be recorded in writing and after taking the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations with repect to any class or category of persons.

6. *Savings*

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special category in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DY DIRECTOR (OFFICIAL/LANGUAGE) IN THE ESI CORPORATION

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. by promotion/ deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/ transfer grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Deputy Director Official Language)	11 (1991)	Group 'A'	Rs 3000-100-3500-125-4500	Selection	N A	N A	N A	N A	2 years	By promotion	Promotion Hindi Officers with 8 years' regular service in the grade of Rs. 2000-3500.	Group 'A' DPC (for considering promotion) Chairman/ Member, UPSC 2. Director General, ESIC 3. Director of Administration, ESIC	Consultation with the UPSC necessary while making promotion. Chairman Member Member

The 24th January 1991

No. 1(1)-1/65-Estt.I(B) Coll. III.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section-97 read with clause-(xxi) of Sub-section(2) and Sub-section(2A) of that Section and Sub-section(2) of Section-17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) as amended from time to time the Employess' State Insurance Corporation hereby makes, the following Regulations, regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider/Three wheeler Scooter Driver in the Employees' State Insurance Corporation, namely :—

1. *Short-title and commencement* :—

(a) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Despatch Rider/ Three Wheeler Scooter Driver) Recruitment Regulations, 1991.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. *Number, Classification and scale of pay* :—

The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2, 3 & 4 of the Schedule annexed to the Regulations.

3. *Method of Recruitment, age limit, qualification, etc.* :—

The method of Recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns-5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. *Disqualification* :— No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contrated a marrige with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation if satisfied that such marrige is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marrige and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. *Power to relax*

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing and after obtaining the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. *Savings*

Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

KUSUM PRASAD,
Director General.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR DESPATCH RIDER/THREE WHEELER SCOOTER DRIVER IN THE ESI CORPORATION

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection posts	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. by promotion/ deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/ transfer grades from which promotion deputation transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Despatch Rider/ Three Wheeler Scooter Driver.	1* (1991)	Group 'C' non-Ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not Applicable	Not Applicable	18 to 25 yrs. (relaxable upto 35 years for the employees of the ESI Corpn. and Govt. employees)	**Essential:** 1. Professional skill in three wheeler Scooter driving and knowledge of Scooter mechanism 2. Holding a valid driving licence for three wheeler with at least two years experience in driving **DESIRABLE:** (a) Pass in the eighth Standard (b) Holding a Licence to drive cars	Not Applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not Applicable	**Group 'C' D.P.C.** (for considering confirmation) **Selection Committee** will consist of:— (1) **For HQRS. OFFICE** Administrative Officer-II — Chairman Dy. Chief Accounts Officer — Member One Officer from outside the Organisation. — Member **FOR REGIONS/DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI OFFICE** 1. Regional Director/ Director (Medical) Delhi — Chairman 2. Dy. Chief Accounts Officer/ Accounts Officer — Member 3. One Officer from outside the Organisation — Member	Not Applicable

*Subject to varification dependent on workload.

NOTE : Qualifications and Experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.

New Delhi, the 24th January 1991

No. N.15/13/11/2/89- P & D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-2-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Name of Centre	Had Bast No.	Tahsil	District
Village Kotla Dadheri	201	Khanna	Ludhiana

A. C. JUNEJA Director (P & D)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 23rd January 1991

No. 25-16/90/LI.—P.L.I. Policies, particularised below having been lost from the department custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	ZZPE-186065- P, 26-8-71	Shri Shaik Ahmed	5,000/-
2.	510224-C, EA/60, 4-4-84	Smt. B.S. Marakathamma	10,000/-
3.	413253-C, EA/55, 6-5-82	Shri Dattaraya Kulkarni	5,000/-

No. 25-13/90-LI—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Depratmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	410143-P, 31-5-80	Shri G.K. Chavan	5,000/-
2.	113215-P, 17-1-66	Shri S.T. Sawant	5,000/-
3.	326165-P, 1-2-78	Shri P.A. Sawant	5,000/-
4.	422786-P, 18-9-80	Smt. S.V. Munj	15,000/-

P. GOPINATH,
Director (PLI)

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 24th January 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/146.—WHEREAS Gujarat Tractor Corporation Limited, Vishwamitri, Vadodara-390001 (GJ/1860) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/209/86-SS.II dated 28-7-86 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 18-9-88 to 28-2-90 upto and inclusive of the 28-2-90.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause(a) of sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payments of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/139.—WHEREAS, The Wesman Engineering Co. (Pvt) Ltd., (WB/1662) 1/2 Allenby Road, Calcutta-/00020, & its branches have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Laoour C.P.F.C. notification No. S-35014/63/84/FPG/SS.II/dated 17-9-87 and subject to the conditons specified in Schedule II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 21-7-90 to 20-7-93 upto and inclusive of the 20-7-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause(a) of sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payments of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt/132.—WHEREAS, M/s. Margadarsi Marketing Pvt. Ltd., P.B. No. 90, Eendu Compound, Khairatabad., Hyderabad-500482 (AP/6690) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND, WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the emploees of the said establishment are, without moking any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such emploees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. S. 35014(51)85-SS.II Dated 25-3-1985 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 25-3-88 to 24-3-91 upto and inclusive of the 24-3-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities—for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The emploer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the emploer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 30th January 1991

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/159.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND, WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

REGION : GUJARAT

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt.'s Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Cadila Distributors Narol-Naroda Highway, 371-372., Isanpur, Ahmedabad-382 443.	GJ/4820	2/1959/DLI/Exempt/89/-Pt. I/4484 dated 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/709/82-DLI
2.	M/s. Gujarat State Co-operative Marketing Federation Ltd., Sahakar Bhavan., Relief Road, Ahmedabad-380001.	GJ/4833	S-35014(6)86-SS-II dated 14-2-86	13-2-89	14-2-89 to 13-2-92	2/1330/85-DLI
3.	M/s. Garwin Pumps Pvt. Ltd., C-I/273., G.I.D.C., Township, Naroda-382330, Ahmedabad.	GJ/11286	2/1959/DLI/Exempt/89/ Pt. I/3914 dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2773/90-DLI
4.	M/s. Instavision Systems (I) Pvt. Ltd., Plot No. 35, Isanpur, Ahmedabad-382443.	GJ/14616	S-35014/11/86-SS-II dated 7-2-86	6-2-89	7-2-89 to 6-2-92	2/1328/85-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The emploer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 das from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the emploer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Scheme appropriately of the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) /legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) /legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominne(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/165.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such emploees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B.N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name and Address of the estt.	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	period for exemption further extended.	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Cadile Veterinary Manufacturers of Veterinary products, Maninagar, Ahmedabad-380008.	GJ/10871	S-3514/236/85/P.F. II/ SS. II. Dated 9-4-87	16-12-89	17-12-89 to 16-12-92	2/943/83/DLI
2.	M/s. Milax Cable Industries, Rakhial Station 382315, Tala-Dehegam, Distt. Ahmedabad.	GJ/14793	2/1959/DLI/Exem./89/pt. I Dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2765/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availbale to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately of the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admisible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alread adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110 011, the 10th December 1990

No. VPS/PU/90/3310.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Panjab University Act, 1947, the Chancellor of the Panjab University, Chandigarh, is pleased to extend the term of Prof. R. P. Bambah as Vice-Chancellor of the Panjab University for a period of three years with effect from the 1st January, 1991, on the existing terms and conditions.

SHRINIVASRAO S. SOHINI,
Secretary to the Vice-President of India
Chancellor, Panjab University.

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD, SECUNDERABAD

New Delhi, the 24th January 1991

SRO-241.—Whereas a draft proposal for revision of tax on Trado, Professions or callings within the limits of Secunderabad Cantonment in supersession of the notification number SRQ 337 dated the 26th September, 1964, published in the Gazette of India was published under Cantonment Board Notice No. 3121 dated the 15th June 1990 and in local dailies Deccan Chronicle, Enadu (Telugu) and Siasat (Urdu) as required by section 61 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) inviting objections/suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date the said notice was made available to the Public.

And whereas the aforesaid draft notice was made available to the public on 15th June 1990.

And whereas no objection or suggestions were received from any person before the date so specified,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification number S.R.O. 337 dated the 26th September, 1964, published in the Gazette of India of Part II, Section 4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and with the previous sanction of the Central Government, the Cantonment Board, Secunderabad, hereby imposes a tax on all persons carrying on within the limits of Secunderabad Cantonment any one or more of the Trades, Professions or callings specified in column 2 of the Schedule appended hereto at the rate specifid in the corresponding entry in column (3) thereof.

Sd/- ILLEGIBLE
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER,
CANTT BOARD,
SECUNDERABAD.

SCHEDULE

S. No.	Class of persons liable to the payment of the tax	Rate of tax per year or part of a year
1	2	3
1	Advertising Agent	60
2	Agent of an Insurance company	250
3	Agent for sale of newspaper and periodicals	60
4	Auctioner	500
5	Automobile Engineer	400
6	Banker of finance licensed	500
6-A	Banker of finance not licensed	300
7	Barber	30
8	Blackswith of Tinsmith	30
9	Block maker or photozinco owner	60
10	Bond writer and stamp vendor	150
11	Book Binder	60
12	Book maker (Turf Accountant)	500
13	Book seller	200
14	Butcher (mutton, beef or pork)	120
15	Carpenter	30
16	Chemist and Druggist	300
17	Clearing agent or hundekari	100
18	Cloth merchant, draper or milliner, paying income tax	500
18-A	A Cloth merchant, draper or milliner, not paying income tax	300
19	Coach maker or motor or carriage body builder	400
20	Cobbler or repairer of boots and shoes	30
21	Commission agent or broker or house agent	500
22	Contractor for building works	600
23	Contractor for a canteen or mess	500
24	Contractor for cycle stand	120
25	Contractor for the installation of electric wiring	200
26	Contractor for MES PWD or CPWD	500
27	Contractor or sub-contractor Regimental	300
28	Contractor not specified elsewhere in this schedule	300
29	Corn chandler	300
30	Dairyman	200
31	Dealer in alluminium ware, brass or copper	300
32	Dealer in arms and ammunition	250
33	Dealer in arts and crafts and curies	150
34	Dealer in asbestos roofing	250
35	Dealer in Bamboo or cane articles	30
36	Dealer in Bangles	30
37	Dealer in Batteries for motor cars	100
38	Dealer in bear, liquor, spirits or wine (country or Foreign)	500
39	Dealer in bedies, cigars, cigrattes, matches pan patties, snuff, tobacco etc.	60
40	Dealer in boots, shoes or chappals	300
41	Dealer in buttons, thread or baberdashery	120
42	Dealer in carpets, furs or shawls	400
43	Dealer in chappals and local boots and shoes	150
44	Dealer in charcoal and firewood	200
45	Dealer in chutneys, condiments or pickles	60
46	Dealer in clocks and watches paying income tax	400
46-A	Dealer in clocks and watches not paying income tax	300
47	Dealer in cocoanuts	60
48	Dealer in coffee and tea	60
49	Dealer in coir matting and dhurries	300
50	Dealer in coke or steam coal	400
51	Dealer in cotton	30
52	Dealer in corrugated iron sheets	250
53	Dealer in crockery, cutlery or glassware	300
54	Dealer in cycles, tricylces or perambulators or the accessories thereof.	300
55	Dealer in Earthenware	30
56	Dealer in Electric goods and batteries	250
57	Dealer in fancy goods and toys	250
58	Dealer in figures and statues	60
59	Dealer in firewood only	60
60	Dealer in firewoks	100
61	Dealer in fountain pens	100
62	Dealer in furniture for sale or hire	500
63	Dealer in Glass	100
64	Dealer in grains	120
65	Dealer in gramophones or accessories thereof	250
66	Dealer in green fodder, hay or straw	60
67	Dealer in grocery (Tea, matches, dry cocoanuts, sugar, coffee, species, soap, ghee, sweet oil, candle sticks and agarbatti)	250
68	Dealer in hair oil, perfumery or toilet requisites	100
69	Dealer in hardware	500
70	Dealer in harness and saddlery including other leather goods	250
71	Dealer in hosiery goods and ready made clothes	400
72	Dealer in imitation articles	120
73	Dealer in kerosene oil, and non-consumable spirits	60
74	Dealer in kites, bhingeris and manjas	30
75	Dealer in knitting wool or yarn	100
76	Dealer in money purses and wrist watch straps	60
77	Dealer in locks and keys	60
78	Dealer in motor cars, motor lorries, motor cycles or accessories thereof.	500
79	Dealer in musical instruments	400
80	Dealer in oilman stores and provisions	300
81	Dealer in paints and distemper	200
82	Dealer in phenyle	60

1	2	3
83	Dealer in pictures and soaps	30
84	Dealer in plywood	200
85	Dealer in radio sets and accessories thereof	500
86	Dealer in rain coats. gum boots and umberallas	150
87	Dealer in ropes	30
88	Dealer in rubber goods	60
89	Dealer in sandal wood	60
90	Dealer in sanitary fittings	250
91	Dealer in Second hand articles	100
92	Dealer in seeds and plants.	500
93	Dealer in sewing machines	500
94	Dealer in sports goods and accessories thereof	400
95	Dealer in sweet oil	60
96	Dealer in syrups	60
97	Dealer in torches	60
98	Dealer in typewritters	500
99	Dealer in vanaspati ghee or dalda	250
100	Dealer in Dentist	250
101	Dispensing chemist	100
102	Draft man	150
103	Dyer	60
104	Electroplater	50
105	Engineers and Architect	400
106	Ferrier or fitter	60
107	Fortune teller	60
108	Frame maker	60
109	General merchants paying incometax.	500
109-A	General merchants not paying incometax	300
110	Gold smith or silversmith	250
111	Golds mith or silversmith being an employee	30
112	Hakim	60
113	Hawker or pedlar	60
114	Hawker or peldar of fruits or vegetables	30
115	Hawker or pedlar of handcart or stalls	200
116	Hirer of cycles for 12 or less cycles	60
117	Hire of cycles for 13 or over	150
118	Hire of sewing machines	100
119	Income tax expert (chartered accountant or other)	250
120	Juggler or conjurer	30
121	Keeper of milch animals for profits	100
122	Keeper of a bar	500
123	Keeper of a Billard saloon	300
124	Keeper of a Cafe, restaurant or eating house	500
125	Keeper of a Flower shop	60
126	Keeper of a Hair dressing saloon	400
127	Keeper of a Milk bar	100
128	Keeper of a Petrol Pump	500
129	Keeper of a Shaving or hair cutting saloon	100
130	Keeper of a small shop selling miscellaneous articles	150
131	Keeper of a Stud farm	500
132	Keeper of a tea and cofee shop	100
133	Laundry owner	300
134	Legal Practitioner	400
135	Licesed jockey	300
136	Maker of footwear	30
137	Maker and seller of bhujia, channa, chiwda etc.	60
138	Maker and seller of bread, biscuits or cakes	300
139	Maker and seller of bread only	120
140	Maker and seller of boxes and trunks	150
141	Maker and seller of caps and hats	100
142	Maker and seller of ghee	150
143	Maker and seller of pictures and picture frames	60
144	Maker and seller of soap	60
145	Maker and seller of sweetments	200
146	Manufacturer and seller of aerated water/ice/both	300
147	Manufacturer and seller of bidies	500
148	Manufacturer and seller of fruit juices or essences or syrup	250
149	Manufacturer and seller of oils	120
150	Manufacturer and seller of metal works	30
151	Mason	30
152	Massagist	60
153	Medical practitioner paying income tax	200
154-A	Medical practitioner not paying income-tax	30
155	Money exchanger	300
156	Owner of motor taxi cabs	400
157	Opticals	60
158	Owner of carriages (tonga, victoria, bullock-cart tricycle riksha) plying for hire	60
159	Owner of race horses	500
160	Painter	30
161	Patwecary	30
162	Persons boiling bones, offal or blood	60
163	Persons stacking or melting tailow	60
164	Petition or letter writer	30
165	Photographer and dealer in photographic goods	300
165-A	Dealer in photographic goods only	150
166	Pimjari	30
167	Plumber	500
168	Printer and stationer	500
169	Proprietor or director of bus service	500
170	Proprietor or director of cinema theatre, or circus or amusement park giving performance for more than 15 days during a year (except for charitable perfor mance)	500
171	Proprietor or director of cinema theatre, or circus or amusement park giving performance for not exceeding 15 days	200
172	Proprietor or director of tamasha giving performances for 15 days or less. (escept for charitable performances) during a year	50
172-A	and for 16 days or over	100
173	Proprietor or Manager of Electric supply Co.	500
174	Proprietor of an Athletic Club	50
175	Proprietor of Boarding house in bazar area for 10 or less boarders	100
176	Proprietor of Boarding house in bazar area for 11 or over	150
177	Proprietor of brass or metal factory	500
178	Proprietor of embrodiery shop	60
179	Proprietor of a flour mill	200
180	Proprietor of residential hotel	500
181	Proprietor of a motor transport company	500
182	Proprietor of skating ring or dancing hall	500
183	Proprietor of tailoring firm (Drapers, Milliners and out-fitters)	500
184	Proprietor of a tailoring shop	100
185	Proprietor of washing and dyeing co mpany	120
186	Repairs of arms	60
187	Repairs of clocks and watches	60
188	Repairs of cycles, sewing machines and gramophones	60
189	Repairs of fountain pens, typewriters etc.	60
190	Repairs of locks and umberallas	30
191	Repairs of motor cars	500

1	2	3
192	Repairs of motor cycles	250
193	Repairs of musical instruments	60
194	Rubber stamp maker	60
195	Sculptor	500
196	Sharpner of knives, scissors etc.	30
197	Shroff (Dealer in gold, silver and jewellary)	500
198	Stationer	200
199	Street photographer	100
200	Supplier of cement, bricks and stones	500
201	Supplier of lime and sand	30
202	Tailor	30
203	Tanner	400
204	Tattooist	600
205	Taxidermist	30
206	Insurance company—Head Office or branch	500
207	Trainer of race horses	500
208	Undertaker	60
209	Vendor of aerated or other portable waters or ice or ice cream or both	60
210	Vendor of betal leaves	60
211	Vendor of bread, biscuits or cakes	60
212	Vendor of butter	60
213	Vendor of dried fish	60
214	Vendor of drugs and Indian medicines	60
215	Vendor of eggs, fish, game or poultry	60
216	Vendor of fruits or vegetables	60
217	Vendor of Ghee	60
218	Vendor of ice.	100
219	Vendor of milk	60
220	Vendor of sugar of sweetments or sweets	60
221	Vendor of toddy	500
222	Vendor of Nira	300
223	Veterinary surgeon	120
224	Vulcanizer	60
225	Washerman	30
226	Wire man	30
227	Battery charger	60
228	Bharbunja (grain parcher)	30
229	Dealer in Agarbatti, abir or loban	30
230	Dealer in any other articles, not specified elsewhere in this schedule	60
231	Dealers in camphor	60
232	Dealers in candle stick	60
233	Dealers in cocoanut oil	30
234	Dealers in umberallas	30
235	Dealers in Varnish or boiled oil	60
236	Dealers in water taps	60
237	Keeper of a beauty shop	500
238	Keeper of a swimming pool	300

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt, the 20th November, 1990

Under Rule 5 of the Punjab Wakf Rules

No. Wakf/2(28)/89—The Administrator vide his order dated 1-11-90 has approved the exchange of Wakf land situated at Mohalla Gujranwala, Old Rajpura, Tehsil Rajpura Distt. Patiala as under:—

Wakf land to be transferred in exchange	Land which the Board will get in exchange
475 Sqr. ft out of total area measuring 3K-12M under Khasra No. 67	Khasra No. 25/18/2 total area 475 Sqr. Ft.

In this connection Notice under Rule 5 of the Punjab Wakf Rules, 1964 is published for inviting objections from the interested persons within 30 days from the date of publication. In case no objection is received by the Secretary, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt., the order of the Administrator will became absolute.

M. M. H. SIDDIQI
Secretary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991